कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक / स्था / राज / एनएचएम / 2021 / 6976 जबलपुर, दिनांक 14 / 07 / 2021

आदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रं / एनएचएम / एचआर / डीबी / 2021 / 9826 भोपाल दिनांक 22.06.2021 के तहत् नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर में मानव संसाधन की पूर्ती हेतु प्राप्त स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आरबीएसके के अंतर्गत पीडियाट्रिक्स सर्जरी यूनिट में **स्टाफ नर्स** के पद पर 11 माह के लिए संविदा आधार पर अस्थाई रूप से निश्चित वेतन 20,000 / – प्रतिमाह पर निम्नलिखित अभ्यार्थियों को निम्नलिखित शर्तों के तहत पीडियाट्रिक्स सर्जरी यूनिट में पदस्थ किया जाता है।

क्र	नाम	श्रेणी	पद एवं पदस्थापना
1.	जैकलिन जैनिफर मसी	अनारक्षित	स्टाफ नर्स, पीडियाट्रिक्स सर्जरी यूनिट
2.	रंजना भारती चौधरी	अनुसूचित जाति	स्टाफ नर्स, पीडियाट्रिक्स सर्जरी यूनिट

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधीन होगी

1. संविदा पदों पर नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात दिनांक 31मार्च 2022 तक के लिए होगी। आपकी 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति है, जो अस्थाई रूप से है।
2. नियुक्ति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय नियुक्तिकर्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र स्वीकृति पत्र (जहॉ पूर्व में कार्यरत थे।) प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वंय के व्यय से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
5. नियुक्त उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
6. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरान्त एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोडने पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
7. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया हैं।
8. आपकी नियुक्ति एन.एच.एम. की सेवा शर्तो के अधीन है । एन.एच.एम. अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एंव परिवर्तन कर सकती हैं। तथा आपकी सेवायें संस्था के किसी भी विभाग में ली जा सकती है।
9. एनएचएम के नियमानुसार संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अनुबंध नवीनीकरण की प्रकिया करना आवश्यक है
10. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुये किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
11. संस्था में मादक एंव उत्तेजक पेय पदार्थ का सेवन वर्जित है। यदि आप इस प्रकार सेवन करते हुये पाये गये तो आपका पद से पदच्युक्त कर दिया जावेगा।

12. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि आपके विपरीत विरूद्ध आचरण संबंधी कोई आरोप सिद्ध होते है तो सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जायेगा।
13. आकस्मिक अवकाश – संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी । एक माह में अधिकतम 3 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी । 03 दिवस से अधिक कार्य दिवस हेतु लिये गये निरंतर अवकाश अवधि को अवैतनिक कियास जावेगा।
14. चिकित्सा अवकाश– संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में अधिकतम 15 दिवस की चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
15. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेगें ।
16. आप किसी भी राजनीतिक अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक / स्था / अराज / एनएचएम / 2021 / 6976 — जबलपुर, दिनांक 14 / 07 / 2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित–

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर की ओर।
3. संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक जबलीपुर की ओर।
4. संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक, मेडिकल कालेज चिकित्सालय जबलपुर की ओर।
5. नोडल अधिकारी, एनएचएम मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
6. विभागाध्यक्ष पीडियाट्रिक्स सर्जरी यूनिट मेडिकल कालेज जबलपुर की ओर।
7. स्थानीय लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि इनका निश्चित वेतन भुगतान एनएचएम आरबीएसके बजट से करना सुनिश्चित करें। ।
8. कु. / श्रीमति / श्री ....पिता..पता..
....

सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी समिति, नेताजी सुभाष चंद बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर